

गोली मारकर हत्या के दोषियों को हुई उम्रकैद

अदालत से

श्रावस्ती, संवाददाता। गोली मारकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया। दोनों दोषियों को आजीवन कारावास कर सजा सुनाइ गई। साथ ही प्रत्येक को 25 हजार रुपये के अर्धदंड से दंडित किया गया।

वर्ष 2012 में दो लोगों ने गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। मामले में भूतक के मरेरे शाई की तहरीर पर कोतवाली बिना में गोली मार कर हत्या करने वाले आरोपियों ननके वर्षा पुत्र राम अभिलाष वर्मा निवासी ग्राम दहाऊरकला थाना इकौना व अतुल देव वर्मा पुत्र दुखाहरन वर्मा निवासी ग्राम परसौरा थाना कोतवाली भिनगा के विरुद्ध 15 दिसंबर 2012 को हत्या का मामला दर्ज किया। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। 12 वर्ष से न्यायालय

तीन वारंटियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

श्रावस्ती। वारंटियों के विरुद्ध पुलिस की ओर से आपरेशन ध्यानकङ्ग चलता जा रहा है। जिसके तहत गुरुवार को सिरसिया व गिरंट पुलिस ने तीन वारंटियों को गिरफ्तार किया। सिरसिया पुलिस ने दो वारंटी बाबूराम पुत्र रामछौथीले निवासी गैंडा वाना सिरसिया व महाजन पुत्र गुलाम निवासी बदलपुर वाना सिरसिया को गिरफ्तार किया। इसी तरह थाना डरदतनार गिरंट पुलिस ने एक वारण्टी रहूफ पुत्र लालमन उर्फ लाल महामन निवासी बंजारनपुरवा वाना हरदत नगर गिरंट को गिरफ्तार किया।

में मामले का विचारण हो रहा था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए, आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्धदंड भी लगाया।

सतर्क हुई पुलिस तो बची युवक की जान

श्रावस्ती। पुलिस की सतर्कता से एक युवक की जान बच गई। एक युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था। जिसमें वह चूहे मारने की दवा का पैकेट दिखाते हुए आत्मघाती कदम उठाने की बात कर रहा था। जिसकी सूचना पर मीडिया सेल ने संबंधित चौकी प्रभारी लक्ष्मनपुर पुलिस चौकी उपनिरीक्षक जगतराम मौर्या को अवगत कराया। चौकी प्रभारी ने सक्रियता दिखाते युवक के लोकेशन पर पहुंच गए और युवक को आत्महत्या करने से रोक लिया। युवक ने बताया कि कभी-कभी वह मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है। ऐसी ही स्थिति में उसने वीडियो बनाकर पोस्ट की थी।